

मुकदमा नं० ५५/१९ निर्णय दि० ३.३.२०

वकील वाडी की एकपक्षीय बहस सुनी जाइ वास्तै निर्णय दिनांक ३/३/२०

काठमाडौं

३.३.२०

परावकी पक्षे ई वकील वाडी उपर । वकील वाडी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । परावकी का अपलोडन किता बहस का मजबूत किता प्रारंभ फेरार उक्त सुविधा वा संसुलन मूकदमा की विद्यमान प्रतीति के पल के बहसकी खातिर हो प्रकीर्ण के त इ किता कोना बहसकी खातिर प्रतीत भेला हो।

इतः प्रकीर्ण का प्रत्येक पक्ष कर्मचारी विधि स्वीकार किता जाला हो। अप्रकीर्ण से कर्मचारी विधेदाका के पाकेड किता जाला हो कि कर्मचारी ख.नं १८१, १८२, २३६, २३७ कुल किताय कुल रकम १.८८०० हेक्टर कोडे वाका जामनेर से प्रकीर्ण के कले बास् के अपधान पदा न रहे कि मंडे से क्यासिपलि ला फेराला काउ कोडे रकम परावकी फेराला कोडे रकम से उक्त हो।

३/३/२०
उपसण्ड अधिकारी
सिफराय जिला-पंजा